

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरगा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/1488

दिनांक - 03.04.25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 पुनमाराम पुत्र
रुगनाथराम जाति
जाट निवासी
जोगासर कुआ,
(छीतर का पार)
तहसील बाटाडु
जिला बाड़मेर।


1 रूपाराम 2 केशाराम पिसरान भोमाराम 3
बाबुराम 4 बांकाराम पिसरान विशनाराम 5
देवाराम 6 केशाराम पिसरान रावताराम 7
कानाराम पुत्र लाभुराम जाति जाट निवासी
जोगासर कुआ, (छीतर का पार) तहसील
बाटाडु जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-220/2024

दिनांक- 01/04/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जोगासर कुआ पटवार क्षेत्र छीतर का पार तहसील बाटाडु
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 731/337 रकबा 4.9511 हेक्टर, खसरा संख्या 733/489 रकबा
1.0598 हेक्टर व खसरा संख्या 735/490 रकबा 3.5717 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के
नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडु को कमीश्नर नियुक्त किया
जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये
सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही
करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की
उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ
रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1488 - 1492

दिनांक-03.04.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी खीपर तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी पुनमाराम पुत्र रुगनाथराम जाति जाट निवासी जोगासर कुआ, (छीतर का पार) तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण रूपाराम पुत्र विशनाराम वगैरह जाति जाट निवासी जोगासर कुआ, (छीतर का पार) तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर
बाड़मेर